

20

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक०क्र० 496/13

संस्थित दिनांक-31.07.13

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-मालनपुर

जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरुद्ध

मुकेश कुमार पुत्र हेतराम शर्मा उम्र 30 साल

निवासी नुनारी थाना किसनी

जिला मैनपुरी उ०प्र०

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 13.02.17 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 279 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 14.07.13 को 23 बजे के लगभग रात्रि ग्वालियर भिण्ड रोड आर०टी०ओ० बैरियर के पास मालनपुर सार्वजनिक स्थान पर वाहन ट्रक क्र० यू०पी०-84 टी०२३२ को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया।

2. प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत व उल्लेखनीय है कि फरियादी एवं आहत का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के कारण प्रकरण में अभियुक्त को संहिता की धारा 337 के संबंध में आरोप का उपशमन किया गया है, जिसका प्रभाव अभियुक्त की उक्त आरोप से दोषमुक्ति का है। अभियुक्त के विरुद्ध संहिता की धारा 279 के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।

3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी गिराज सोनी दिनांक 14.07.13 को रात करीब 11 बजे अपनी अल्टो कार क्र० यू०पी०-79 ए 4455 से ग्वालियर से गोहद जा रहा था। आर०टी०ओ० बैरियर मालनपुर पर पहुंचा। ट्रक क्रमांक एम०पी०-84 टी०२३२ का चालक ग्वालियर तरफ से तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और फरियादी की कार में टक्कर मार दी जिससे कार में बैठे उसके पिता लक्ष्मण प्रसाद सोनी को चोट आई थी। उक्त आशय की रिपोर्ट अप०क्र०-145/2013 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, नक्शामौका बनाया गया, गिर० कर गिर० पत्रक, जब्ती कर जब्ती पत्रक बनाया गया। बाद अनुसंधान अभियोगपत्र पेश किया गया।

13

गुप्ता

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म०प्र०



4. अभियुक्त को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में कोई तथ्य न आने से दफ्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण नहीं कराया गया।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं -

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 14.07.13 को 23 बजे के लगभग रात्रि ग्वालियर भिण्ड रोड आर०टी०ओ० बैरियर के पास मालनपुर सार्वजनिक स्थान पर वाहन ट्रक क्र० यू०पी०-84 टी०232 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया।?

### -:: सकारण निष्कर्ष ::-

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में गिराज अ०सा० 1, लक्ष्मण प्रसाद सोनी अ०सा० 2 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।

7. फरियादी गिराज सोनी अ०सा० 1 यह कथन करते हैं कि घटना आज से 3-4 साल पहले जुलाई महीने की रात के 11 बजे की है। वे अपनी अट्टो कार से ग्वालियर से गोहद आ रहे थे। उनके साथ उनके पिता भी उक्त कार में थे। कार आर०टी०ओ० बैरियर मालनपुर के पास पहुंची तभी पीछे से एक ट्रक यू०पी० का था जिसका नंबर उन्हें याद नहीं है। उसका चालक चलाकर लाया और साक्षी की गाड़ी बगल से टक्कर मार दी थी और ट्रक वहीं रुक गया था। साक्षी उसके पिता को थोड़ी सी चोट आना बताते हैं। साक्षी यह भी बताते हैं कि उसने ट्रक चालक को देख लिया था। साक्षी यह बताते हैं कि कथित ट्रक चालक 19-20 साल का लड़का था और यह भी कथन करते हैं कि न्यायालय उपस्थित व्यक्ति ट्रक नहीं चला रहा था। साक्षी लक्ष्मण प्रसाद अ०सा० 2 यह कथन करते हैं कि आर०टी०ओ० बैरियर मालनपुर के पास जब वे लोग पहुंचे तो पीछे से एक ट्रक का चालक चलाकर आया और उसकी गाड़ी में बगल से टक्कर मार दी। यह साक्षी भी अपने अभिसाक्ष्य में उक्त ट्रक का चालक अभियुक्त न होकर 19-20 साल के लड़के का होना बताता है।

8. प्रकरण में उक्त दोनों ही साक्षी कथन करते हैं कि दुर्घटना पश्चात् उक्त ट्रक मौके पर रुक गया था। साक्षी गिराज अ०सा० 1 जब्ती पत्रक प्र०पी० 3 पुलिस द्वारा उनके समक्ष बनाए जाने जिस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताते हैं। प्र०पी० 3 का जब्ती पत्रक अभिलेख पर है जिसमें वाहन की जब्ती घटनास्थल से दर्शाई गयी है और उस पर साक्षी के ए से ए भाग पर हस्ताक्षर बताए गए हैं। ऐसे में साक्षी गिराज अ०सा० 1 व लक्ष्मण अ०सा० 2 जिनके समक्ष कथित ट्रक यू०पी० 84 टी०232 घटनास्थल पर रुक गया था तो उनके द्वारा कथित ट्रक के चालक को देख पाना स्वाभाविक है। किन्तु साक्षीगण द्वारा अभियुक्त के वाहन चालक होने के तथ्य से इंकार किया है व एक 19-20

13.07.2013  
न्यायिक प्रमाण प्रमाण




(21)

वर्षीय युवक के द्वारा वाहन चलाए जाने का कथन किया है। साक्षीगण ने अपने अभिसाक्ष्य में कथित ट्रक के उपेक्षा व उतावलेपन से चलाए जाने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किया है।

9. साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषितकर उनसे सूचक प्रश्नों में उक्त ट्रक के चालक द्वारा उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर टक्कर मार देने के संबंध में सुझाव दिए जाने पर उक्त साक्षीगण द्वारा स्पष्ट रूप से अभियोजन के सुझाव से इंकार किया है। साक्षीगण ने अपने अभिसाक्ष्य में पुलिस रिपोर्ट प्र०पी० 1 में बी से बी भाग तथा पुलिस कथन क्रमशः प्र०पी० 4 व 5 में विनिर्दिष्ट कथन लेख कराए जाने से इंकार किया है। इस प्रकार से सर्वोत्तम साक्षियों द्वारा अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता व उपेक्षा एवं उतावलेपन से वाहन के चलाए जाने के तथ्य से इंकार किया जाना अभियोजन के मामले को संदिग्ध बना देता है। साक्षीगण ने घटनास्थल पर जगदीप सोनी व आकाश सोनी की उपस्थिति के संबंध में भी इंकार किया है। ऐसे में अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जो कि अभियुक्त के द्वारा घटना दिनांक व सुसंगत समय पर उक्त ट्रक को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर दुर्घटना कारित करने के संबंध में पुष्टि करता हो।

10. अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि राजीनामा हो जाने से साक्षियों द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया गया है। प्रकरण में अभियोजन साक्षीगण ने राजीनामा होना तो स्वीकार किया है किन्तु उसके कारण असत्य कथन किए जाने के तथ्य से इंकार किया है। संहिता की धारा 279 के आरोप को प्रमाणित किए जाने हेतु सारवान व तर्कपूर्ण साक्ष्य अभियुक्त के द्वारा वाहन के उपेक्षा व उतावलेपन से लोकमार्ग पर चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित करने के संबंध में साक्ष्य होना आवश्यक है। प्रकरण में सर्वप्रथम तो अभियुक्त के द्वारा वाहन चलाए जाने के संबंध में साक्ष्य से उक्त तथ्य प्रमाणित नहीं हैं और प्र०पी० 3 के जब्ती पत्रक के अनुसार भी जब्ती भी अभियुक्त से नहीं हुई है। जहां तक प्राथमिकी प्र०पी० 1 व पुलिस कथन क्रमशः प्र०पी० 4 व 5 का प्रश्न है तो वे सारवान साक्ष्य में नहीं आते हैं। न्यायदृष्टान्त- रवि कुमार वि० स्टेट ए आई आर 2005 सुप्रीम कोर्ट 1929 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि एफ आई आर सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आती है, इसका उपयोग मात्र सूचनाकर्ता के सम्पुष्टि अथवा खण्डन किये जाने के लिये साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अधीन किया जा सकता है। इसी प्रकार से धारा 161 दप्रस के कथनों के संबंध में भी उनका उपयोग केवल विरोधाभास एवं लोप के संबंध में किया जा सकता है।

11. प्रकरण में सर्वोत्तम साक्षीगण गिराज अ०सा० 1 व आहत लक्ष्मण प्रसाद अ०सा० 2 के द्वारा घटना के समय अभियुक्त के वाहन चलाए जाने के तथ्य से इंकार किया जाना अभियोजन के मामले को पूर्णतः संदिग्ध कर देता है। साक्षीगण द्वारा रिपोर्ट प्र०पी० 1 व पुलिस कथन क्रमशः प्र०पी० 4 व 5 के संबंध में महत्वपूर्ण विरोधाभास एवं लोप प्रकट किए हैं। ऐसे में साक्षियों की अभिसाक्ष्य उक्त

  
 नाथिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
 महान जिला सिविल मजिस्ट्रेट



दस्तावेजों से समर्थित नहीं हैं। दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्तगण के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत बर्की जोसफ बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1892 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति की है कि सन्देह, सबूत का अनुकूल नहीं है। "सत्य हो सकता है" और "सत्य होना चाहिए" के बीच काफी दूरी है और अभियोजन को अपना पक्ष समस्त युक्ति-युक्त सन्देह से परे साबित करने के लिए पूरा प्रयास करना होता है।


12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 14.07.13 को 23 बजे के लगभग रात्रि ग्वालियर भिण्ड रोड आर0टी0ओ0 बैरियर के पास मालनपुर सार्वजनिक स्थान पर वाहन ट्रक क0 यू0पी0-84 टी0232 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 279 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।


13. अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रतिभूति भारहीन की जाती है, उसके निवेदन पर मुचलका निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावशील रहेंगे।

14. प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति पूर्व से सुपुर्दगी पर है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधनमुक्त हो। अपील होने पर अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,  
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित  
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

  
ए0के0 गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

  
18-2-2015  
ए0के0 गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश